UPSB010006102008

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14वां वित्त आयोग/ विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र।

पीठासीन अधिकारी— **हरिकेश कुमार,** (उच्चतर न्यायिक सेवा), जे.ओ. कोड—यू.पी.1822

विशेष सत्र परीक्षण संख्या— 480/2012,

उत्तर प्रदेश राज्य

.......अभियोजन।

बनाम

छोटेलाल पुत्र स्व. बदन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी खजुरा, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र

.......अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या—349/2008,
धारा—3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना—पिपरी, जनपद सोनभद्र।

अभियोजन की ओर से	श्री धनन्जय शुक्ल (विद्वान विशेष लोक अभियोजक)
अभियुक्त की ओर से	श्री अनिल कुमार (विद्वान अधिवक्ता)

शिकायतकर्ता (वादी मुकदमा)	जयशंकर प्रसाद
घटना की तिथि व समय	भिन्न—भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि व समय	06.05.2008, 21:45 बजे
आरोप पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुति दिनांक	89/08, 25.10.2008
आरोप विरचित करने का दिनांक	29.04.2010
साक्ष्य आरम्भ करने का दिनांक	01.07.2010
313 द.प्र.सं. अंकित किये जाने की तिथि	24.06.2026
निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	27.07.2026
निर्णय घोषित दिनांक	30.07.2026

—:निर्णय:—

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण में थाना पिपरी, जिला सोनभद्र की पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटेलाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या—349/2008, अन्तर्गत धारा—3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तत्कालीन विद्वान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), वाराणसी द्वारा दिनांक 24.11.2008 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है। उसके पश्चात् दिनांक 13.07.2009 को पत्रावली जनपद

Digitally signed by HARIKESH KUMAR
Date: 2026.07.30 14:59:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

न्यायालय वाराणसी से स्थानांतरित होकर विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मिर्जापुर न्यायालय को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 20.03.2012 को स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष पिपरी जयशंकर प्रसाद ने दिनांक 06.05.2008 को थाना पिपरी, सोनभद्र में इस कथन के साथ लिखित तहरीर दिया कि ''मैं निरीक्षक जयशंकर प्रसाद व हमराह का. 297 बलराम सिंह, का. 125 राजनाथ, का. चालक प्रेमचन्द्र यादव मय जिप्सी सरकारी नं. यू.पी.64जी. / 0078 के बहवाले रपट सं. 19 समय 10:05 बजे थाना से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र में था कि ज्ञात हुआ कि मु.अ.सं.–880 / 07, अं.धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. थाना पिपरी पर दिनांक 14.11.2007 को वादी मुकदमा वीरसिंह पुत्र शिवभजन खरवार, निवासी ग्राम खैराही पनारी, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र द्वारा विरूद्ध 1. ठाकुर साधू सिंह उर्फ कुंज बिहारी सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सेमरतर, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र, 2. रामलच्छन पुत्र फेंकू, निवासी ग्राम सेमरतर, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र व 3. छोटेलाल पुत्र बदन, निवासी ग्राम खेजुरा, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र, पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तगण मिलकर एक योजना के तहत, जिसमें ठाकुर साधू सिंह उर्फ कुंज बिहारी सिंह को वीर सिंह की जमीन की खतौनी लेकर स्वयं वीर सिंह बनकर अपनी फोटो लगाकर व रामलच्छन मृतक हंसू पुत्र बुधन ग्राम मेड़रदह, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र के स्थान पर स्वयं हंसू बनकर हंसू के जमीन का इंतखाव लेकर उस पर अपना फोटो लगाकर तथा **छोटेलाल को गारंटर बनाकर अपने अन्य साथियों** के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर सुनियोजित योजना से इलाहाबाद बैंक की रेनुकूट शाखा से दिनांक 29.12.2001 को वीर सिंह व हंसू के नाम से मु. 2,25,000 / –रुपये का लोन ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्राप्त कर लिये। दिनांक 25.02.2007 को जब वीर सिंह के ऊपर बसूली की लगभग 4,31,627 / –रुपये की नोटिस मिली तो प्रकरण की उसे जानकारी हुई। इस प्रकार अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह बनाकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के लिए समय–समय पर गिरोह का मुखिया बदलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध करते है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध भा.दं.सं. के अध्याय 16, 17, 22 में वर्णित अपराध के दायरे में आता है। अभियुक्तगण इस समय जिला जेल मीरजापुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। **गैंग लीडर छोटेलाल पुत्र बदन**, निवासी ग्राम खेजुरा, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र के गैंगचार्ट का अनुमोदन जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा प्राप्त है। इसके विरूद्ध धारा–3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का मुकदमा पंजीकृत करे।''

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना पिपरी, जिला सोनभद्र पर दिनांक 06.05.2008 को समय 21:45 बजे मुकदमा अपराध संख्या–349 / 2008, अन्तर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत छोटेलाल के विरूद्ध एफ.आई.आर. पंजीकृत की गयी। मु.अ.सं.–349 / 2008 विरूद्ध अभियुक्त छोटेलाल, प्रविष्टि थाना पिपरी, जिला सोनभद्र के जी0डी0 संख्या–41 पर समय 21:45 बजे दिनांक 06.05.2008 को की गयी है।

4. मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी अनपरा, सोनभद्र विवेचक नियुक्त हुए। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा से अभियुक्त के विरूद्ध तैयार किये गये गैंग चार्ट को विवेचना के क्रम में प्राप्त किया गया। सम्बन्धित साक्षियों का बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त

छोटेलाल के विरूद्ध धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र से अनुमति प्राप्त की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5. अभियुक्त को आहूत किया गया। अभियुक्त उपस्थित अदालत आया। उसको अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। तत्कालीन विद्वान विशेष न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण), अधिनियम, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 29.04.2010 को अभियुक्त छोटेलाल के विरूद्ध धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुये उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है:–

क्र.सं.	बतौर पी.डब्लू.	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
01.	पी.डब्लू.–1	जयशंकर प्रसाद	वादी मुकदमा (पुलिस निरीक्षक)
02.	पी.डब्लू.–2	राजकुमार यादव	एफ.आई.आर. लेखक
03.	पी.डब्लू.–3	शुभनरायन	विवेचक

7. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से सिद्ध किये गये अभियोजन प्रपत्र निम्नलिखित हैं:–

क्र.सं.	द्वारा सिद्ध किया गया	प्रदर्श प्रपत्र	प्रदर्श क–
01.	पी.डब्लू.–1, वादी मुकदमा जयशंकर प्रसाद	तहरीर व गैंगचार्ट	1, 2
02.	पी.डब्लू.–2, राजकुमार यादव	प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी मुकदमा जी.डी	3, 4
03.	पी.डब्लू.–3, शुभनरायन	आरोप पत्र	5

8. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक के संबंध में कथन किया गया कि अभियोजन कथानक गलत है, उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। साक्षी पी.डब्लू.–1 के साक्ष्य के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। साक्षी पी.डब्लू.–2 के साक्ष्य के संबंध में कहा गया कि गलत मुकदमा पंजीकृत किया गया और गलत प्रदर्श साबित किया गया। साक्षी पी.डब्लू.–3 के साक्ष्य के संबंध में कहा गया कि गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, मुकदमा झूठा चलना बताया गया, सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा अतिरिक्त कथन में कहा गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।

9. अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. में सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है लेकिन अभियुक्त की तरफ से किसी मौखिक साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त द्वारा सूची 67ख/1 के माध्यम से न्यायालय सिविल जज

जूनियर डिवीजन, सोनभद्र में लंबित मु.नं.–665/2008, राज्य बनाम ठाकुर साधू सिंह वगैरह, अं.धारा–419, 420, 467, 468 भा.दं.सं., थाना पिपरी, सोनभद्र में परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी.डब्लू.–1, 2 व 3 के साक्ष्यों की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित किये गये साक्षियों का मुख्य बयान में किया गया कथन निम्नवत है, उनके जिरह में किये गये कथन को यथास्थान उल्लिखित किया जायेगा।

11. साक्षी **पी.डब्लू.–1 जयशंकर प्रसाद (वादी मुकदमा)** ने अपने बयान मुख्य परीक्षा दिनांक 11.12.2019 में यह कथन किया है कि ''दिनांक 06.05.2008 को मैं बतौर निरीक्षक थाना पिपरी में तैनात था। दिनांक 06.05.2008 को मैंने एक लिखित तहरीर देकर अभियुक्तगण छोटेलाल वगैरह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। दिनांक 06.05.2008 को हमराही का. बलराम सिंह, का. राजनाथ, चालक प्रेमचन्द, सरकारी गाड़ी यू.पी.64जी. 0078 से थाने से रपट सं. 19 समय 10:05 बजे थाने से रवाना होकर क्षेत्र में था कि ज्ञात हुआ कि दिनांक 14.11.2007 को थाना पिपरी पर मु.अ.सं.–880/07, धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. के वादी मुकदमा श्री वीर सिंह द्वारा अभियुक्तगण ठाकुर साधू सिंह, रामलक्षण व छोटेलाल के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगण योजनावद्ध तरीके से जिनमें ठाकुर साधू सिंह उर्फ कुंज बिहारी सिंह को वीर सिंह की जमीन की खतौनी लेकर स्वयं वीर सिंह बनकर अपनी फोटो लगाकर व रामलच्छन, मृतक हंसू पुत्र बुधन ग्राम मेड़रदह, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र के स्थान पर स्वयं हंसू बनकर हंसू की जमीन का इंतखाव लेकर उस पर अपना फोटो लगाकर तथा छोटेलाल को गारेंटर बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर सुनियोजित योजना से इलाहाबाद बैंक की रेनूकूट शाखा से दिनांक 29.12.2001 को वीर सिंह व हंसू के नाम से मु. 2,25,000/– रुपये का लोन ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्राप्त कर लिए। दिनांक 25.02.2007 को जब वीर सिंह के ऊपर बसूली की लगभग 4,31,627 रुपये की नोटिस मिली तो प्रकरण की उसे जानकारी हुई। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने गिरोह के सदस्यों के लिए मुखिया बदलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध भा.दं.सं. के अध्याय 16, 17 व 22 की श्रेणी में आता है। इन अभियुक्तों का गैंग लीडर छोटेलाल है। **तहरीर** मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली पर का.सं.–4क/2 है। तहरीर पर मैं अपने हस्ताक्षर की पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। गैंगचार्ट का अनुमोदन दिनांक 05.05.2008 को गैंग लीडर छोटेलाल व सदस्य ठाकुर सिंह उर्फ कुंज बिहारी व रामलच्छन के विरूद्ध हस्ताक्षर बनाकर व थाने की मुहर लगाकर दिनांक 06.05.2008 को क्षेत्राधिकारी पिपरी से अग्रसारित कराया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा दिनांक 06.05.2008 को अग्रसारित किया गया, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन प्राप्त हुआ। **मूल गैंगचार्ट** मेरे हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। चूंकि अभियुक्त छोटेलाल न्यायिक अभिरक्षा में जिला मिर्जापुर में निरूद्ध थे। इसलिए केस डायरी का प्रथम पर्चा 07.05.2008 को तथा द्वितीय पर्चा दिनांक 08.05.2008 को किता किया गया। पर्चा के आधार पर गैंगेस्टर कोर्ट वाराणसी से स्वीकृति प्राप्त किया गया व अभियुक्त पर तामील किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

12. साक्षी **पी.डब्लू.–2 राजकुमार यादव (एफ.आई.आर. लेखक)** ने अपने बयान मुख्य परीक्षा दिनांक 07.01.2026 में यह कथन किया है कि ''दिनांक 06.05.2008 को बतौर हेड मोर्हिर कां. थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र में तैनात था कि उक्त दिनांक को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा हस्त लिखित तहरीर व अनुमोदित

गैंगचार्ट कार्यालय में प्राप्त कराया गया। तहरीर के आधार पर मु.अ.सं.–349/2008, धारा–3(1) गैंगेस्टर एक्ट विरूद्ध छोटेलाल अपने हस्तलेख में अभियोग पंजीकृत किया। उक्त अभियोग की **प्रथम सूचना रिपोर्ट** शामिल पत्रावली का.सं.–4क/1 है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मु.अ.सं. उपरोक्त की **कायमी जी.डी. में रपट नं. 41** समय 21:45 बजे अपने हस्तलेख में अंकित किया था, जिसकी छायाप्रति शामिल पत्रावली का.सं.–6क है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

13. साक्षी **पी.डब्लू.–3 शुभ नरायन (विवेचक)** ने अपने बयान मुख्य परीक्षा दिनांक 17.01.2026 में यह कथन किया है कि ''दिनांक 06.07.2008 को बतौर थानाध्यक्ष थाना अनपरा में कार्यरत था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना पूर्व थानाध्यक्ष रामदयाल प्रसाद द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण के पश्चात मैं बतौर विवेचक विवेचना ग्रहण कर पूर्व किता पर्चों का अवलोकन व अग्रिम रिमाण्ड माननीय न्यायालय से अनुरोध किया, जिसका उल्लेख पर्चा न०–07 में दिनांक 06.07.2008 को किया। दिनांक–07.07. 2008 को पर्चा नं0–08 किता किया, जिसमें अभियुक्त छोटेलाल की रिमाण्ड प्राप्त हुयी एवं गवाह की तलाश किया, नहीं मिले। दिनांक 13.08.2008 को पर्चा नं0–09 किता किया, जिसमें गवाहान की तलाश किया गया तथा पूर्व विवेचक से रामदयाल प्रसाद तत्कालीन थानाध्यक्ष, अनपरा, जिनके द्वारा पर्चा नं0–06 तक किता किया गया था, का समर्थन किया। दिनांक 18.08.2008 को पर्चा नं0–10 किता किया, जिसमें बयान वादी, निरीक्षक जयशंकर प्रसाद का बयान लिया। दिनांक 23.08.2008 को पर्चा नं0–11 किता किया, जिसमें बयान वादी श्री बीर सिंह, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–880/2007, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. थाना पिपरी, सोनभद्र के वादी का बयान लिया। दिनांक 31.08.2008 को पर्चा नं0–12 किता किया, जिसमें अभियुक्त के रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। दिनांक 02.09.2008 को पर्चा नं0–13 किता किया, जिसमें अभियुक्त छोटेलाल के रिमाण्ड स्वीकृत होने का उल्लेख किया गया। दिनांक 28. 09.2008 को पर्चा नं0–14 किता किया, जिसमें हमराहियान कां० राजनाथ, कां० बलिराम सिंह व एफ.आई.आर. लेखक मंजूर अहमद सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–880/2007, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. थाना पिपरी, सोनभद्र का बयान अंकित किया। दिनांक 14.10.2008 को पर्चा नं0–15 किता किया, जिसमें बयान विवेचक श्री अब्दुल कयूम खां, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–880/2007, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. थाना पिपरी, सोनभद्र अंकित किया गया। दिनांक 16.10. 2008 को पर्चा नं0–16 किता किया, जिसमें अभियुक्त छोटेलाल द्वारा अपराध से अर्जित की गयी चल–अचल संपत्ति के सत्यापन से संबन्धित जानकारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र को आख्या प्रेषित किया गया था। दिनांक 20.10.2008 को पर्चा नं0–17 किता किया, जिसमें अभियुक्त छोटेलाल की रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया था। दिनांक 21.10.2008 को पर्चा नं0–18 किता किया, जिसमें अभियुक्त का रिमाण्ड स्वीकृत हुआ था। दिनांक 25.10.2008 को पर्चा नं0–19 किता किया, जिसमें अभियोग चलाये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा अनुमति प्रदान की गयी। मेरे द्वारा तमाम साक्ष्य संकलन के पश्चात् अभियुक्त छोटेलाल पुत्र बदन, निवासी–खजुरा, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–89/2008, अन्तर्गत धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया। वह **आरोप पत्र** शामिल पत्रावली कागज संख्या–3क है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।''

14. अभियोजन पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु कुल 03 साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराये गये है। अभियुक्त एक नाजायज गोल बनाकर अपराध कारित करके जनता में दहशत का माहौल बनाकर अपराध करके आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करता है। मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियोजन कथानक युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्त छोटेलाल को अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाये।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्ण रूप से दूषित है। अभियोजन पक्ष की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह तथ्य साबित हो सके कि अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है तथा उसके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध रूप से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ अर्जित किया गया हो तथा अभियुक्त द्वारा समाज में भय व आतंक का माहौल पैदा किया गया हो। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाये।

16. अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष एवम् विश्लेषण

17. प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय / अवधार्य बिन्दु यह है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त छोटेलाल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में कहाँ तक सफल रहा है?

18. अभियुक्त छोटेलाल के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि धारा–3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त एक सुसंगठित गिरोह कायम करके अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों को अनुचित, आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं तथा उनके गैंग के डर व भय से जनता में दहशत, संत्रास फैला हुआ है जिसके वजह से लोग गवाही देने से बचते हैं।

19. मामले के सम्यक निस्तारण हेतु गैंगेस्टर अधिनियम में दी गई परिभाषा का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा–

2(ख)– **''गिरोह''** का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियाबी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी किया कलाप करते है।

धारा–2(ग)– **"गिरोहबन्द"** का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड(ख) मे प्रमाणित किसी गिरोह के किया कलाप के लिए, चाहे ऐसे किया कलाप के किए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे कियाकलाप किया हो, संश्रय देता है।

20. गिरोहबन्द अधिनियम की धारा–3(1) के अधीन दोषसिद्धि हेतु आवश्यक आवश्यकताएँ निम्नवत है–

(i) व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, जो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करें,

(ii) हिंसा या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्यथा,

(iii) लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने या

(iv) अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धारा–2बी की श्रेणियों में वर्गीकृत असमाजिक गतिविधियों में शामिल होना।

21. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मामले में कुल 3 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। अब यह देखा जाना है कि उक्त साक्षीगण के बयान से अभियोजन कथानक का तथ्यात्मक पहलू कहाँ तक साबित होता है? अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना है कि अभियुक्त अधिनियम की धारा–2ख के तहत गिरोह बनाकर, धारा–2ग के तहत उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए दुनियाबी, आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज में हिंसा या धमकी का प्रदर्शन व अभित्रास का कार्य कारित किये हैं।

22. Hon'ble Apex Court in **Kali Ram Vs State of Himachal Pradesh AIR 1973 SC 2773** has propounded that "In a Criminal trial, the onus is upon prosecution to prove the different ingredients of offence and unless it discharges that onus, it cannot succeed."

23. अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यगण 1. ठाकुर साधू सिंह उर्फ कुंज बिहारी सिंह व 2. राम लच्छन के साथ मिलकर वीर सिंह व मृतक हंसू की जमीन की खतौनी निकलवाकर उस पर अपना फोटो लगाकर इलाहाबाद बैंक शाख रेनुकूट से दिनांक 29.12.2002 को 2,25,000/–रुपये का लोन ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्राप्त किया, जिसमें अभियुक्त छोटेलाल की भूमि बतौर गारंटर बतायी गयी है। दिनांक 25.02.2007 को जब वीर सिंह के ऊपर बसूली की लगभग 4,31,627 रुपये की नोटिस मिली तो प्रकरण की जानकारी हुई। उसके पश्चात् वीर सिंह द्वारा मु.अ.सं. –880/07, अं.धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. के तहत थाना पिपरी, सोनभद्र पर पंजीकृत कराया गया। गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 के अनुसार अभियुक्तगण ठाकुर साधू सिंह, रामलच्छन को बतौर सदस्य और छोटेलाल को गैंग लीडर के रूप में दर्शाया गया है। अभियोजन की तरफ से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु साक्षी पी.डब्लू.–1 रिटायर्ड निरीक्षक जयशंकर प्रसाद को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा मूल तहरीर को बतौर प्रदर्श क–1 तथा गैंगचार्ट को बतौर प्रदर्श क–2 साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण ठाकुर साधू सिंह व राम लच्छन के साथ अभियुक्त छोटेलाल के द्वारा किस प्रकार आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ अर्जित किया गया, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो धनराशि अंकन 2,25,000/– रुपये ट्रैक्टर खरीदे जाने हेतु इलाहाबाद बैंक शाखा रेनुकूट से बतौर लोन अभियुक्तगण द्वारा ली गयी थी, उसकी अदायगी बैंक को किसके द्वारा की गयी, इस संबंध में भी अभियोजन पक्ष की

तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब आधारभूत मुकदमें के वादी वीर सिंह पर ऋण बसूली हेतु अंकन 4,31,627/–रुपये की बसूली नोटिस बैंक द्वारा भेजी गयी, तो उक्त धनराशि वीर सिंह द्वारा जमा की गयी अथवा अभियुक्तगण द्वारा, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य इस साक्षी अथवा विवेचक साक्षी पी.डब्लू.–3 निरीक्षक शुभ नरायण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचक ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैंने अभियुक्त छोटेलाल की आर्थिक स्थिति के बारे में भी विवेचना किया था, उनके पास से क्या क्या पाये थे, इस समय याद नहीं है। छोटेलाल के बैंक खाते में कितना पैसा था, इस समय मुझे याद नहीं है। पूर्व विवेचक अय्यूब कयूम खां से मैंने बयान लिया था, उन्होंने भी छोटेलाल की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं चार्ज सीट के साथ अभियुक्त छोटेलाल की प्रॉपर्टी के बारे में कोई सबूत नहीं लगाया था।

24. आधारभूत मुकदमा राज्य बनाम ठाकुर साधू सिंह आदि जो अभी भी विचाराधीन है, में परीक्षित वादी मुकदमा वीर सिंह के बयानों की सत्यप्रति अभियुक्त द्वारा अपने सफाई साक्ष्य में सूची 67ख/1 से दाखिल की गयी है। साक्षी वीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''ट्रैक्टर के लेन देन के संबंध में मुझसे किसी ने कभी भी सादे पेपर पर अंगूठे का निशान नहीं लगवाया। मेरे साथ किसी ने भी कूट रचना करके किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं कराया था। छोटेलाल और रामलच्छन ने मुझसे कभी कोई हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं लगवाया। मुकदमा मैंने नहीं लिखवाया है, मुझे यह भी पता नहीं है कि मुकदमा किसने लिखवाया है। छोटेलाल और रामलच्छन को मैं जानता हूं। इन दोनों लोगों ने मेरे साथ कभी कोई घटना कारित नहीं की है। इन दोनों का नाम कैसे मुकदमा में आया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। ये दोनों लोग छोटेलाल व रामलच्छन मुकदमें में निर्दोष है।'' साक्षी पी.डब्लू.–2 हीरालाल जो कि वादी मुकदमा वीर सिंह का पुत्र है, के बयानों की सत्यप्रति दाखिल की गयी है, जिसमें उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किंतु जिरह में कथन किया है कि मैंने न्यायालय में दिनांक 05.12.2008 को जो बयान दिया है, वह अपने पिता जी व पुलिस वालों के दबाव में आकर दिया है। मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं।

25. अभियोजन पक्ष पर यह भार है कि वह अभियोजन कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे। इस मामले में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षीगण ने अभियोजन प्रपत्रों तहरीर, गैंगचार्ट, एफ.आई.आर, जी.डी. कायमी व आरोप पत्र को औपचारिक रूप से साबित किया है, किंतु अभियुक्त द्वारा किस प्रकार से आर्थिक, भौतिक और दुनियाबी लाभ अर्जित किया गया है, इस संबंध में लेश मात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र अभियोजन प्रपत्रों के साबित कर दिये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को साबित नहीं माना जा सकता।

26. विधि व्यवस्था **मेहर प्रसाद उर्फ गुद्ध बनाम उ० प्र० राज्य किमिनल मिस० प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 संख्या–12805/2004 निर्णय दिनांकित 15–07–2019 में** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि ''पिछले कृत्यों के आरोप इस अधिनियम के तहत किसी मामले के स्थापना के लिए एक मात्र मानदण्ड नहीं हो सकते, जब तक कि गिरोहबन्द अधिनियम के तहत अपराध के तत्व साबित नहीं हो जाते। उक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंगेस्टर ऐक्ट में दोषसिद्धि के लिए एक अपराध भी पर्याप्त आधार हो सकता है, लम्बे आपराधिक इतिहास की सूची आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि क्या अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है और उस गिरोह के सरगना अथवा सदस्यों द्वारा गैंग चार्ट में वर्णित अपराधों को बल, हिंसा, प्रपीड़न, अभित्रास या अन्य साधनों द्वारा भौतिक, आर्थिक या दुनियाबी लाभ अर्जित करने अथवा

लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से धारा 2ख में परिभाषित क्रिया कलापों को किया गया है। उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर किसी प्रकार से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ अर्जित किया गया हो एवम् उनके द्वारा कारित कृत्य से लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुयी हो। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के विरूद्ध किस प्रकार गैंगेस्टर ऐक्ट का अपराध गठित होता है। गिरोह बन्द अधिनियम के तहत किसी अवैध सम्पत्ति जब्त करने का साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त की अपराधों में लगातार संलिप्तता रही हो, अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा गैंगचार्ट मे दर्शित अन्य सदस्यों के साथ गिरोह बनाकर अपराध कारित किये जाते रहे हो अथवा उसके द्वारा गिरोह बनाकर किये गये अपराध से आर्थिक, दुनियाबी व भौतिक लाभ अर्जित किया गया हो अथवा लोक शांति छिन्न भिन्न हुयी हो अथवा अभियुक्त का समाज में आतंक व भय व्याप्त हो।

27. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुभाष बनाम उ०प्र० राज्य जे. आई.सी. 405 इलाहाबाद** में अवधारित किया गया है कि ''जब तक गैंगेस्टर ऐक्ट में वर्णित अपराध में अवयव को साबित करने के लिए तथ्य व अपराध साबित नहीं होते तो पूर्व में दर्ज मुकदमें के आधार पर गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्यवाही नही की जा सकती है।''

28. इस अधिनियम में यह स्थापित विधि है कि मात्र व्यक्तियों का समूह हो जाने से गिरोह का निर्माण नहीं होता, गिरोह के निर्माण के लिए समूह का उद्देश्य इस अधिनियम में दिये गये उद्देश्यों से होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में जबकि गिरोह निर्मित होने का बिन्दु और इस अधिनियम में दिये गये उद्देश्यों हेतु अपराध कारित किये जाने का तथ्य न तो अभियोजन पक्ष साबित कर सका है और न ही ऐसा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर गैंगचार्ट में दर्शित अपराध कारित कर समाज में भय व आतंक उत्पन्न कर लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया गया हो।

29. अभियोजन की ओर से मामले में प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है तथा यह भी साबित नहीं होता कि अभियुक्त ने गिरोह बन्द होकर धोखाधड़ी व बेइमानी आदि द्वारा लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया गया हो अथवा आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज विरोधी क्रिया कलापों को किया गया हो। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप के सापेक्ष कोई पुष्टिकारक व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

30. आपराधिक विधि शास्त्र का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को अपना कथानक विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सन्देह से परे साबित करना होता है। सन्देह उत्पन्न होने की स्थिति अभियुक्त को दोषमुक्त होने का हकदार बना देता है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षित सम्पूर्ण साक्षीगण के बयान से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं है। अतः सन्देह की दशा में दोषसिद्धि की तुलना में दोषमुक्ति का विकल्प ही न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रंग बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए०आई०आर०—2000 एस.सी. 1209** में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि "The Time tested rule is that acquittal of a guilty person should be preferred to convicition of an innocent

person. Unless the prosecution established the guilt of the accused beyond reasonable doubt a conviction cannot be passed on the accused." प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक का तथ्यात्मक पहलू संदेह से परे साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

31. अतः पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त छोटेलाल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम को ठोस, पर्याप्त व विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त छोटेलाल को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

32. अभियुक्त **छोटेलाल** पुत्र स्व. बदन को **विशेष सत्र परीक्षण सं.–480 / 2012, मु.अ.सं.–349 / 2008**, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र के मामले में धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के आरोप से सन्देह का लाभप्रदान करते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

33. अभियुक्त जमानत पर है, उसके बन्ध–पत्र पर जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

34. अभियुक्त की तरफ से धारा–437ए दं०प्र०सं० के तहत एक सप्ताह के अन्दर मु. 20,000 / – रुपये की दो प्रतिभू व बन्ध पत्र दाखिल किया जाये जो अपील की अवधि अथवा अपील न होने की स्थिति में छः माह तक बने रहेंगे।

35. धारा 365 दं०प्र०सं० के तहत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र को प्रेषित की जाए।

दिनांक 30.07.2026

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.),
14वां वित्त आयोग / विशेष न्यायाधीश
(गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ. कोड– यू.पी.1822

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 30.07.2026

(हरिकेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.),
14वां वित्त आयोग / विशेष न्यायाधीश
(गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र
जे.ओ. कोड– यू.पी.1822